

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.12(9)गृह-1/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक

29 JUL 2016

आज्ञा

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62(1) व 66 के प्रावधानों के अनुसार जिला भरतपुर हेतु जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

- 1- श्री महेश बंसल अध्यक्ष
ए-461, जवाहर नगर, जिला- भरतपुर, मो0नं0- 9414023437
- 2- श्रीमती शीला कटारा, सदस्य
वार्ड नं0-3, नगर, जिला-भरतपुर, मो0नं0-9887503487
- 3- श्री खेम चन्द कोली पुत्र श्री तेजा राम कोली सदस्य
नई सब्जी मंडी, डीग, जिला भरतपुर।
- 4- श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह सदस्य
प्लॉट नं0-16, पैराडाईज कॉलोनी, नीम का गेट बाहर,
जिला-भरतपुर, मो0नं0 9782564710
- 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सदस्य सचिव
मुख्यालय, भरतपुर।

उक्त अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत इस समिति की पदावधि दो वर्ष की होगी।

आज्ञा से,

ए

(पवन कुमार जैन)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3- वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
- 5- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 6- जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, भरतपुर।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर।

29/7/2016
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस